समाजीकरण एवं महिलाएं

डॉ. दीप्ति धामी,

समाजशास्त्र विभाग
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सारांश

कहा जा सकता है कि महिलायें सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम हो सकती है। परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक मूल्यों को महिलाएं आज भी स्वीकार करती हैं, लेकिन उन रिवाजों को नकार रही हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। यह प्रमाणित हुआ है कि सामाजिक मूल्यों के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

ग्रामीण समाजों में लड़के व लड़कियों के समाजीकरण में अन्तर देखने को मिलता है। लड़कियों के समाजीकरण में उन्हें, उनके विवाह के पश्चात् के जीवन के लिए अधिक तैयार किया जाता है इस प्रकार महिलाओं को विवाह के पूर्व, पूर्वाभासी समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के कारण प्रायः लड़कियाँ विवाह के पश्चात् पति के परिवार में समायोजन स्थापित कर लेती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जनजातीय महिलाओं के जीवन में परिवर्तन नहीं आता, जितना गैर जनजातीय महिलाओं के जीवन में आता है। समाजीकरण के प्रतिमानों में लैंगिक आधार पर पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। लड़कियों के समाजीकरण में स्त्री जीवन से सम्बन्धी अनेकों नियमों व निषेधों की सीख अनिवार्यतः सम्मिलित रहती है। विवाह और वैवाहिक जीवन से सम्बन्धित मान्यताओं के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं के विचारों को परम्परा व आधुनिकता का समन्वय माना जा सकता है। एक एक ओर विवाह की आयु जीवन साथी का चयन व वैवाहिक सम्बन्धों के निर्धारण आदि के संदर्भ में आधुनिकता की ओर उन्मुख माना जा सकता है। वहीं विवाह की अनिवार्यता एक धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह की स्वीकार्यता आदि के संदर्भ में वे आज भी पारम्परिक मूल्यों को अधिक स्वीकार करती है।

अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिलाएं धार्मिक रूप से आस्थावान हैं वे ईश्वरीय भक्ति में विश्वास करती हैं परन्तु उन्हें धार्मिक रूप से कट्टर अथवा अत्यधिक कर्मकाण्डों का पालन करने वाला नहीं कहा जा सकता। उनकी धार्मिक गतिविधियाँ जहाँ एक ओर धार्मिक आस्था के कारण होती हैं वहीं दूसरी ओर परिवार, पर्वत व बच्चों की सुरक्षा के लिए भी वे धार्मिक शक्ति के रूप में स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा को अतयधिक महत्व दिया जाता है। यह भी देख गया है कि सामुदायिक धार्मिक गतिविधियों में गैर जनजातीय समुदायों की तुलना में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है।

मूल अवधारणाएँ : *समाजीकरण, जनजातीय एवं गैर जनजातीय महिलाएँ।*

मनुष्य को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। एक जैविक प्राणी के रूप में मनुष्य समाज के रीति–रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों व संस्कृति से अनभिज्ञ होता है। सामाजिक सम्पर्क के द्वारा ही व्यक्ति इन सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों व गुणों को सीखकर एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। सामाजिक सीख की यही प्रक्रिया समाजीकरण कही जाती है। समाजीकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का सक्रिय सदस्य बनता है तथा समाज के मूल्यों व मान्यताओं के अन्तरीकरण के साथ–साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं को सम्पन्न करना भी सीखता है। यह एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें परिवार, समुदाय, पड़ोस, नाते–रिश्तेदार, क्रीड़ा समूह, धार्मिक समूह एवं विद्यालय की विशेष भूमिका होती है। समाजीकरण में संप्रेषण, संस्तुतीकरण तथा सीखने की उन सभी क्रियाओं का समावेश होता है। जिसके द्वारा मनुष्य सामाजिक जीवन में भाग लेने योग्य बनता है। प्रस्तुत अध्ययन में समाजीकरण की प्रक्रिया का जनजातीय एवं गैर जनजातीय विवाहित महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। चूंकि अध्ययन विवाहित महिलाओं पर केन्द्रित है, अतः विवाह के पश्चात् समाजीकरण के प्रतिमानों व मूल्यों के परिवर्तनों के संदर्भ में महिलाओं की प्रस्थिति की जाँच की गई है, विवाह से पूर्व तथा विवाह के पश्चात् महिलाओं को समाजीकरण व पुनर्समाजीकरण करने में परिवार व समाज की भूमिका की भी अध्ययन में जाँच की गई है। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा देना है।

महिलाओं के विवाह से पूर्व लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में लिखते हुए एम0 दास गुप्ता (1987) ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के किये गये अध्ययन में स्पष्ट किया है कि चिकित्सा देखभाल व भोजन वितरण में स्पष्ट लैंगिक विभेद दिखाई देता है। पितृ सत्ता पर आधारित परम्परागत भारतीय समाज में लड़के व लड़कियों के कार्य विभाजन सम्बन्धी समाजीकरण में भी स्पष्टतः विभेदपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देता है। लड़कियों को प्रायः बाल्यावस्था से ही उनके भविष्य के प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए घरेलू कार्यों में संलग्न कर दिया जाता है जबकि लड़कों के सामने इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती। लड़कियों की समाजीकरण प्रक्रिया में बालिकाओं द्वारा छोटे भाई–बहिनों की देखभाल तथा घरेलू कार्यों में संलग्नता को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया गया है। एम0 दास गुप्ता (1987), गांगुली घोष (1988), रंजना कुमारी (1988) के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि परिवारों में भोजन वितरण के संदर्भ में भी लड़के व लड़कियों में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है तथा सामान्य की तुलना में पौष्टिक आहार पर लड़कों का अधिकार अधिक होता है। प्रस्तुत अध्ययन में बाल्यावस्था तथा विवाह के पूर्व परिवार व समाज द्वारा दी गई सामाजिक सीख तथा विवाह के पश्चात् जीवन में हुए परिवर्तन तथा उनके समाजीकरण के नये स्वरूप, तथा विवाह से पूर्व व विवाह पश्चात् उनके जीवन में पितृसत्ता पर आधारित समाजों में लैंगिक आधार पर विभेद स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसी कारण भारतीय परिवारों में भी पुत्र व पुत्री संतान के प्रति भेदभाव स्वभाविक रूप से देखा गया है, इस विभेद में बेटा सुविधाओं का अधिकारी होता है। जबकि बेटियों को कम सुविधाएँ प्रदान किये जाने के साथ–साथ अनेकों जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना पड़ता है।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत प्रपत्र का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय एवं गैर जनजातीय महिलाओं में समाजीकरण एवं शिक्षा के सन्दर्भ में महिलाओं की

प्रस्थिति और भूमिका का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एव वर्णनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य

जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदायों में महिलाओं के सन्दर्भ में समाजीकरण के प्रतिमानों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

समग्र एवं प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन का समग्र भारत के उत्तरी राजय उत्तराखण्ड के कुमायूँ मण्डल में स्थित पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला एवं मुनस्यारी विकासखण्ड है। यह अध्ययन बहुस्तरीय निदर्शन प्रणाली पर आधारित है। धारचूला एवं मुनस्यारी विकासखण्ड में क्रमशः 72 व 231 कुल 303 गाँव हैं। निदर्श चयन के दूसरे स्तर पर इन दोनों विकासखण्डों के गाँवों का 10 प्रतिशत गाँवों का चयन किया गया और इस प्रकार क्रमशः 07 तथा 23 कुल 30 गाँवों का चयन किया गया। इन 30 गाँवों में धारचूला के 7 गाँवों में 601 तथा मुनस्यारी के 23 गाँवों में 1549 परिवार हैं। निदर्श चयन के तीसरे स्तर पर इन परिवारों में से 15 प्रतिशत का निदर्श के रूप में चयन किया गया और इस प्रकार धारचूला प्रखण्ड से 90 तथा मुनस्यारी प्रखण्ड से 232 कुल 322 परिवारों का निदर्श के रूप में चयन किया गया। इन चयनित परिवारों में 137 जनजातीय एवं 163 गैर जनजातीय कुल 300 महिलाएं उपलब्ध हुईं। अतः अन्तिम रूप से 300 महिलाएं ही अध्ययन की इकाई मानी गयी हैं। अध्ययन हेतु प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है साथ ही द्वैतीयक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है।

सारणी संख्या – 1.1

परिवार में माता–पिता द्वारा उत्तरदाताओं व उनके भाईयों के बीच किये गये भेदभाव के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	6	4.38	29	17.79	35	11.67
अधिक	37	27.01	50	30.68	87	29.00
सामान्य	38	27.03	54	33.14	92	30.67
कम	31	22.63	11	6.74	42	14.00
बिल्कुल नहीं	25	18.25	19	11.63	44	14.66
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.1 के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपने बचपन में इस प्रकार के विभेद का सामना किया हैं 40.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि उन्होंने अपने बचपन में 'बहुत अधिक' या 'अधिक' विभेद का सामना किया है। केवल 28.66 प्रतिशत उत्तरदाता ही ऐसे थे जिन्हें बहुत कम या बिल्कुल विभेद का सामना नहीं करना पड़ा। अन्य सभी उत्तरदाताओं को कम या अधिक विभेद का सामना करना ही पड़ा है।

इस सन्दर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्टतः प्रमाणित हुआ कि गैर जनजातीय की तुलना में जनजातीय समाजों में लड़कियों के प्रति कम विभेद किया जाता है। जहाँ गैर जनजातीय समाजों में 81.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने बचपन में विभेद का सामना करना पड़ा था, वहीं जनजातीयों में ऐसे विभेद का सामना करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत केवल 58.42 था। जैसा कि विभिन्न अध्ययनों में स्पष्ट हुआ है जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति अधिक उच्च है वहीं तथ्य प्रस्तुत सारणी से प्रमाणित हुए हैं।

मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण पारस्परिक सम्पर्क से भी होता है। परिवार के बाद बच्चे का सम्पर्क खेल के साथियों से होता है। क्रीड़ा समूह में बच्चा भाव अभिव्यक्त करना, सहयोग, प्रेम आदि भावनाओं को समझना तथा अनुशासन में रहना सीखता है। परन्तु लैंगिक विभेद के कारण क्रीड़ा–समूह में सम्मिलित होने के संदर्भ में लड़के–लड़कियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार प्रायः उनके बाल्यावस्था से ही दृष्टिगत होने लगता है। यह देखा गया है कि लड़के को बचपन से ही खेलने–कूदने तथा घूमने–फिरने की स्वतंत्रता दी जाती है जबकि लड़कियों को घरेलू कार्यों में संलग्न कर दिया जाता है।

सारणी संख्या – 1.2

बचपन में लड़कों की तरह खेलने–कूदने की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्ण रूप से	40	29.20	20	12.27	60	20.00
आंशिक रूप से	87	63.51	96	58.89	183	61.00
बिल्कुल नहीं	10	7.29	47	28.84	57	19.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.2 से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरादाताओं को (61.00 प्रतिशत) उनके बचपन में ही लड़कों की तरह खेलने–कूदने की स्वतंत्रता आंशिक रूप से ही दी जाती थी। 19.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें खेलने–कूदने की बिल्कुल भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जनजातीय एवं गैर जनजातीय समुदाय का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समुदाय में अधिकांश (92.71 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को 'पूर्ण रूप से' तथा 'आंशिक रूप से' लड़कों की तरह खेलने–कूदने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। जबकि गैर जनजातीय समुदाय में अधिकांश (87.73 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को 'आंशिक रूप से' या 'बिल्कुल नहीं' खेलने दिया जाता था। आँकड़ों से स्पष्ट है कि जनजातीय समुदायों में बाल्यावस्था में समाजीकरण प्रक्रिया में लड़कियों को कम विभेद का सामना करना पड़ा है।

समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जो सामाजिक सीख पर आधारित होती है। सामाजिक सीख व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य अनुभव, प्रयत्न और प्रशिक्षण के द्वारा उन गुणों को सीखना है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से अनुकूलन करके, एक

विशेष तरह के व्यक्तित्व को विकसित कर सके। परन्तु समाजीकरण में महिला व पुरूष के मध्य विद्यमान लैंगिक विभेद के कारण इस सामाजिक सीख में भी अंतर देखा जाता हैं। भारतीय परिवारों में माता–पिता का महत्वपूर्ण स्थान है। माता जीवनदात्री होने के साथ–साथ ज्ञानदात्री भी है। माता–पिता पालन पोषण के साथ–साथ शिक्षा के द्वारा भी बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में बेटे को महत्व दिया जाता है, तथा बेटे–बेटी को दी जाने वाली शिक्षा (सामाजिक सीख) में भी अन्तर पाया जाता है।

सारणी संख्या – 1.3

परिवार में लड़के व लड़कियों को दी जाने वाली सामाजिक सीख में अन्तर के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	11	8.02	32	19.63	43	14.33
अधिक	51	37.23	82	50.31	133	44.33
सामान्य	41	29.93	42	25.77	83	27.67
कम	17	12.41	5	3.07	22	7.34
बिल्कुल नहीं	17	12.41	2	1.22	19	6.33
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.3 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित अधिकांश (58.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं द्वारा यह बात स्वीकार की गई है कि उनके परिवार में लड़के तथा लड़कियों को दी जाने वाली सामाजिक सीख में अन्तर था। केवल 13.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि लड़के–लड़कियों को दी जाने वाली सीख में 'कम' या बिल्कुल अन्तर नहीं किया जाता है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि जनजातीय समुदाय में लड़के–लड़कियों को दी जाने वाली सामाजिक सीख में अन्तर 'सामान्य' व उससे कम है। ऐसा मत व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 53.75 है। स्पष्ट है कि गैर जनजातीय समुदायों में लड़के व लड़कियों में अधिक विभेद किया जाता है। उत्तरदाताओं से वार्ता करने पर यह स्पष्ट हुआ कि लड़कियों को बचपन में यह सिखाया जाता था कि उन्हें ऊँची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए। लड़कों की तरह उछल–कूद नहीं करनी चाहिए। शरीर पूरी तरह ढका रहना चाहिए। घर के कार्यो को सीखना चाहिए आदि। जबकि लड़कों के लिए इस प्रकार के व्यवहारों की कोई बाध्यता नहीं थी।

एक ऐसे रक्तमूलक एक पक्षीय वंश को कुल कहते हैं, जिसके सदस्य किसी पूर्वज या पूर्वज से अपने पीढ़ीगत संबंधों की खोज करते हैं। यह पूर्वज व पूर्वज मिथकीय अथवा धर्मशास्त्रीय व्यक्ति न होकर पाँच या छः पीढ़ी पहले रहा कोई वास्तविक व्यक्ति होता है। 'कुल' की सदस्यता पूर्णतः रक्त सम्बन्धों पर आधारित

होती है। गोत्र शब्द का प्रयोग कई वंशजों के ऐसे व्यापक समूह के लिए किया जाता है जिसके सदस्य अपने को किसी दूरस्थ वास्तविक अथवा मिथकीय या काल्पनिक पूर्वज की संतान मानते हैं बहिर्विवाही नियम पर आधारित होने के कारण एक गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह–सम्बन्ध वर्जित होते हैं। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों द्वारा विवाह के पश्चात् कुल गोत्र बदले जाने की स्थिति की जाँच की गई है।

सारणी संख्या – 1.4

विवाह के पश्चात् गोत्र बदलने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर कास्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	79	57.67	96	58.89	175	58.33
नहीं	58	42.33	67	41.11	125	41.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 58.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विवाह के पश्चात् गोत्र बदले जाने के सन्दर्भ में 'हाँ' में उत्तर दिया है। जबकि 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गोत्र 'नहीं' बदले जाने की बात स्वीकार की है। उत्तरदाताओं से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि वे गोत्र के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि पितृपक्ष की सात पीढ़ियों व मातृ पक्ष की पाँच पीढ़ियाँ 'कुल' के अन्तर्गत आती हैं। अतः इनमें विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकते हैं। इस सन्दर्भ में जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति लगभग एक समान ही है। यहाँ 41.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा यह मानना कि विवाह के पश्चात् उनका गोत्र परिवर्तित नहीं हुआ। आश्चर्यजनक माना जा सकता है क्योंकि सामान्यतः हिन्दू समाज में विवाह के पश्चात् स्त्रियों का गोत्र स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाता है तथा उनके पति का गोत्र उनका गोत्र मान लिया जाता है। गोत्र परिवर्तन न होने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से विस्तृत चर्चा करने पर इसके दो कारण स्पष्ट हुए हैं, पिछला धारचूला विकासखण्ड के जनजातीय उत्तरदाताओं द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जनजातियो में गोत्र नहीं होता है तथा गैर जनजातीय अधिक उम्र की उत्तरदाताओं को गोत्र सम्बन्धित जानकारी प्राप्त नहीं थी।

विवाह दो या दो से अधिक विषम लिंगियों के बीच समाजोनुमोदित, औपचारिक तथा अपेक्षाकृत स्थाई लैंगिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था अथवा नियमों का एक पुंज है, जो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक पारस्परिक दायित्वों तथा अधिकारों द्वारा इन्हें बांधता है। विवाह के पश्चात् महिलाओं को विवाह के नियमों तथा पारस्परिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए माता–पिता द्वारा सामाजिक सीख दी जाती है। माता–पिता के घर सीखे गये व्यवहारों के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनर्समाजीकरण है। चूंकि अध्ययन विवाहित महिलाओं पर केन्द्रित है अतः विवाह के पश्चात् हुए परिवर्तनों अथवा पुनर्समाजीकरण की स्थिति की भी अध्ययन में जांच की गई है।

सारणी संख्या – 1.5

विवाह के पश्चात् जीवन में हुए परिवर्तन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	22	16.06	35	21.47	57	19.00
अधिक	51	37.23	83	50.92	134	44.67
सामान्य	51	37.23	43	26.39	94	31.33
कम	8	5.84	1	.61	9	3.00
बिल्कुल नहीं	5	3.64	1	.61	6	2.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.5 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (63.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के जीवन में विवाह के पश्चात् 'बहुत अधिक' एवं 'अधिक' परिवर्तन आया है तथा बहुत कम (5.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके जीवन में 'कम' या बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जहाँ जनजातियों में 53.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 'बहुत अधिक' व 'अधिक' परिवर्तन का सामना करना पड़ा है वहीं गैर जनजातियों में भी 'बहुत अधिक' व 'अधिक' परिवर्तन का सामना करने वाले उत्तरदाता 72.39 प्रतिशत हैं। यद्यपि दोनों ही समुदायों की महिलाओं को विवाह के पश्चात् 'अधिक' व 'बहुत अधिक' परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है परन्तु गैर जनजातीय समुदाय में यह स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक देखी गयी है। विवाह के पश्चात् उत्तरदाताओं के जीवन में आये परिवर्तनों के बारे में उनसे अनौपचारिक चर्चा करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि विवाह पश्चात् उनके पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं। जैसे– बहू के रूप में समस्त पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को उन्हें करना पड़ता है। व्रत उपासना, पूजा पाठ आदि में अधिक सम्मिलित होना पड़ता है। विवाह से पूर्व पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यों में आंशिक भागेदारी होती है जबकि विवाह के पश्चात् पूर्ण रूप से उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है।

भारत में प्रायः विवाह को धर्म और परम्परा के साथ जोड़ा जाता है। हिन्दुओं में विवाह को एक सामाजिक–धार्मिक कर्तव्य माना गया है। इन्हीं धार्मिक परम्पराओं एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए महिलाओं को विवाह से पूर्व ही तैयार किया जाता है तथा उसे आदर्श बहू, पत्नी व माँ के रूप में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी जाती है। यह देखा गया है कि विवाह के पश्चात् स्त्री एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है तथा उस परिवार के अनुरूप स्वयं को ढाल लेती है। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरों को सारणी संख्या – 1.6 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 1.6

'विवाह के बाद आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन अनुभव करती है', प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
विवाह के पूर्व के समान ही दिनचर्या बनी हुई	14	10.22	13	7.97	27	9.00
आंशिक परिवर्तन हुआ है।	51	37.22	36	22.09	87	29.00
पति व उनके परिवार के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया है।	72	52.56	114	69.94	186	62.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विवाह के पश्चात् 62.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पति तथा उनके परिवार के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया है। केवल 9.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही स्वीकार किया है कि उनकी दिनचर्या विवाह के पूर्व के समान ही बनी हुई है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों ही समुदायों के अधिकांश उत्तरदाताओं के जीवन में विवाह के पश्चात् परिवर्तन आया है, फिर भी गैर जनजातीय समुदायों में जनजातीय समुदाय की अपेक्षा, अधिक परिवर्तन देखा गया है।

माता–पिता के घर सीखे गये व्यवहारों के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहारों का प्रशिक्षिण अथवा पुराने ही मूल्यों, मानकों एवं मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया पुनर्समाजीकरण कहलाती है। विवाह के पश्चात् महिलाओं को प्रायः पति के परिवार के मूल्यों, मानकों, मान्यताओं एवं व्यवहारों को ग्रहण कर उसके परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। उत्तरदाताओं द्वारा माता–पिता के घर में सीखे गये व्यवहारों, नियमों व परम्पराओं में विवाह के पश्चात् आये परिवर्तनों का विश्लेषण सा सारणी संख्या – 1.7 में किया गया है।

सारणी संख्या – 1.7

माता–पिता के घर सीखे गये व्यवहारों, नियमों व परम्पराओं में विवाह के पश्चात् आये परिवर्तन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बहुत अधिक	11	8.03	15	9.20	26	8.67
अधिक	50	36.49	81	49.69	131	43.66
सामान्य	47	34.31	56	34.36	103	34.33
कम	15	10.95	9	5.53	24	8.00

बिल्कुल नहीं	14	10.22	2	1.22	16	5.34
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (86.66 प्रतिशत) को माता–पिता के घर में सीखे गये व्यवहारों, नियमों और परम्पराओं में 'बहुत अधिक', 'अधिक' या सामान्य परिवर्तन करना ही पड़ा है।

इस संदर्भ में 'बिल्कुल अंतर नहीं आया' ऐसा मानने वाले उत्तरदाता केवल 5.34 प्रतिशत ही हैं। स्पष्ट है कि विवाह के पश्चात् महिलाओं को पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया है कि जनजातीय समुदाय में 44.52 प्रतिशत उत्तरदाताओं में विवाह के पश्चात् पुनर्समाजीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई है। जबकि गैर जनजातीय समुदाय में 58.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का पुनर्समाजीकरण हुआ है। अतः जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही समुदायों के उत्तरदाताओं को पुनर्समाजीकरण की स्थिति से गुजरना पड़ा है। फिर भी गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को पुनर्समाजीकरण की स्थिति का सामना अधिक करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रचलित नियमों के अनुरूप विवाह के पश्चात् लड़कियों को माता–पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना पड़ता है। इस व्यवस्था में स्त्री के जीवन में विवाह के पश्चात् अनेकों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। स्त्री का गोत्र परिवर्तन होता है, उसे पति के परिवार का जाति नाम व गोत्र स्वीकार करना पड़ता है। जैसा कि पूर्व विवरण से भी स्पष्ट है कि उसे प्रायः पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

यह भी देखा गया है कि स्त्रियो को प्रायः विवाह के पश्चात् अपने दिन–प्रतिदिन की आदतों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। भाषा, भोजन, पहनावा, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक गतिशीलता आदि के संदर्भ में उसे पति के परिवार के नियमों के अनुरूप सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी इस संदर्भ में पर्वतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को जाँचने का प्रयास किया गया है। आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भाषा–बोली, पहनावे, भोजन की आदतों के संदर्भ में उत्तरदाताओं के जीवन में बहुत कम या बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया है ऐसे उत्तरदाताओं का प्रतिशत कम है जिनके जीवन में इस संदर्भ में परिवर्तन आया हो। इस संदर्भ में भी गैर जनजातीय की तुलना में जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति अधिक अच्छी देखी गयी है।

सारणी संख्या – 1.8

विवाह के पश्चात् पति के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त व्यवहार के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बेटी के समान स्नेह व आत्मीयता प्राप्त हुई।	16	11.68	14	8.59	30	10.00
स्नेह प्राप्त हुआ, परन्तु बहू के	75	54.75	55	33.74	130	43.33

रूप में मर्यादित आचरण की अपेक्षा की गई।						
मर्यादित आचरण की अपेक्षा की गई, परन्तु विशेष स्नेह प्राप्त नहीं हुआ।	36	26.28	73	44.79	109	36.33
दुर्व्यवहार किया गया।	10	7.29	21	12.88	31	10.34
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

महिला के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि घर, समाज, पड़ोस में ऐसा वातावरण हो जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। महिलाओं के प्रति किया जाने वाला हिंसात्मक परिवार उनके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। वास्तविकता तो यह है कि महिला को सदैव दोयम दर्जे का ही नागरिक समझकर उन पर तरह–तरह की पाबंदियां लगायी जाती हैं। महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा उनकी सामाजिक– आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाती है। पति तथा उसके परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यवहार महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में घरेलू हिंसा महिलाओं की प्रमुख समस्या मानी जाती है अतः महिलाओं के विकास के संदर्भ में पति तथा उसके परिवार द्वारा किये जाने वाले व्यवहार की जाँच करना भी आवश्यक है।

सारणी संख्या – 1.8 के मूल्यांकन से स्पष्ट होताा है कि अधिकांश (72.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें विवाह के पश्चात् पति तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा 'स्नेह तो प्राप्त हुआ है, परन्तु बहू के रूप में मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है' तथा 'मर्यादित आचरण' की अपेक्षा की जाती है परन्तु विशेष स्नेह प्राप्त नहीं होता है।' 10.34 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता भी हैं, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनके पति तथा परिवार के सदस्यों द्वारा उनके साथ 'दुर्व्यवहार किया गया है।' जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय समुदाय के अधिकांश (66.43 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को विवाह के पश्चात् पति तथा उसके परिवार के सदस्यों से 'बेटी की तरह स्नेह व आत्मीयता प्राप्त होती है' तथा उन्हें 'स्नेह तो प्राप्त होता है परन्तु मर्यादित आचरण की अपेक्षा भी की जाती है।' गैर जनजातीय समुदाय के उत्तरदाताओं का मानना है कि विवाह के पश्चात् पति तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उनसे मर्यादित आचरण की अपेक्षा तो की जाती है परन्तु विशेष स्नेह प्राप्त नहीं होता है तथा दुर्व्यवहार किये जाने की भी पुष्टी की गई है। यह अन्तर स्पष्टतः देखा जा सकता है कि जनजातीय समुदाय में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति गैर जनजातीय समुदाय की अपेक्षा श्रेष्ठ है।

प्राचीनकाल से ही प्रायः पितृसत्तात्मक समाजों में पुत्री के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था। लगभग सभी जगह पुत्रों को पुत्रियों की अपेक्षा अधिक मान दिया जाता था। बेटा परिवार के लिए एक स्थाई आर्थिक सम्पत्ति तथा बेटी भार समझी जाती थी। वर्तमान समाज व्यवस्था में भी बेटी के प्रति इसी प्रकार का दृष्टिकोण देखा जा सकता है तथा उन्हें प्रायः परिवार के सदस्यों द्वारा लड़की/स्त्री के रूप में कमजोर होने का एहसास कराया जाता है। इस प्रकार का एहसास विवाह से पूर्व तथा विवाह के पश्चात् दोनों ही स्थितियों में कराया जा सकता है।

सारणी संख्या – 1.9

परिवार के सदस्यों द्वारा लड़की/स्त्री के रूप में कमजोर होने के एहसास कराये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप		विवाह से पूर्व			विवाह के पश्चात्		
		जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता	जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता
बहुत अधिक	आवृत्ति	6	8	14	6	14	20
	प्रतिशत	4.38	4.91	4.67	4.38	8.59	6.67
अधिक	आवृत्ति	16	29	45	24	45	69
	प्रतिशत	11.68	17.79	15.00	17.52	27.60	23.00
सामान्य	आवृत्ति	44	60	104	56	76	32
	प्रतिशत	32.12	36.81	34.67	40.87	46.63	44.00
कम	आवृत्ति	41	42	83	22	16	38
	प्रतिशत	29.93	25.77	27.66	16.06	9.81	12.66
बिल्कुल नहीं	आवृत्ति	30	24	54	29	12	41
	प्रतिशत	21.89	14.72	18.00	21.17	7.37	13.67
कुल योग	आवृत्ति	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.9 का विश्लेषण करने पर सपष्ट होता है कि 70.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का माना कि उन्हें विवाह से पूर्व 'सामान्य' 'कम' तथा बिल्कुल भी कमजोर होने का एहसास नहीं कराया जाता था तथा 73.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि विवाह के पश्चात् उन्हें कमजोर होने का एहसास 'बहुत अधिक' 'अधिक' व 'सामान्य' रूप से कराया ही जाता है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय उत्तरदाताओं को विवाह से पूर्व तथा विवाह के पश्चात् कमजोर होने का एहसास कम या बिल्कुल नहीं कराया जाता है। जबकि गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को विवाह से पूर्व तथा विवाह के पश्चात् अधिकांशतः स्त्री के रूप में कमजोर होने का एहसास कराया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा अधिक उच्च है तथा जनजातीय समुदाय में लड़कियों को लड़कों की तरह ही सुदृढ़ समझा जाता है।

विषमता, असमानता और भेदभाव से उत्पन्न तनाव व दबाव की स्थिति महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह देखा गया है कि पुरूष के बिना स्त्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता है। घर का मुखिया पुरूष को ही माना जाता है। पुरूष प्रधान समाजों में स्त्री को कमजोर समझा जाता है तथा उन्हें कमजोर व असहाय होने का एहसास भी कराया जाता हैं महिलाओं के लिए यह दृष्टिकोण भी रखा जाता

है कि अगर औरत को बहुत आजादी दी जाएगी तो वे घर–परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी, उनको काबू में रखना जरूरी है। प्रस्तुत अध्ययन में उपरोक्त स्थितियों के संदर्भ में भी उत्तरदाताओं की स्थिति को ज्ञात किया गया है।

सारणी संख्या – 1.10

स्त्री के रूप में स्वयं को असहाय महसूस करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप		विवाह से पूर्व			विवाह के पश्चात्		
		जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता	जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता
बहुत अधिक	आवृत्ति	4	8	12	7	17	24
	प्रतिशत	2.92	4.90	4.00	5.11	10.43	8.00
अधिक	आवृत्ति	17	19	36	34	37	71
	प्रतिशत	12.40	11.67	12.00	24.82	22.69	23.67
सामान्य	आवृत्ति	41	50	91	47	82	129
	प्रतिशत	29.94	30.67	30.34	34.30	50.31	43.00
कम	आवृत्ति	49	51	100	22	13	35
	प्रतिशत	35.76	31.29	33.33	16.06	7.98	11.67
बिल्कुल नहीं	आवृत्ति	26	35	61	27	14	41
	प्रतिशत	18.98	21.47	20.33	19.71	8.59	13.66
कुल योग	**आवृत्ति**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (84.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि वे विवाह से पूर्व वे स्वयं को 'सामान्य' 'कम' व बिल्कुल भी असहाय महसूस नहीं करता। विवाह के पश्चात् 74.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं को 'बहुत अधिक', 'अधिक' तथा सामान्यतः असहाय महसूस किया है।

जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि विवाह से पूर्व दोनों ही समुदाय के उत्तरदाता स्वयं को 'कम असहाय' महसूस करते हैं। जबकि विवाह के पश्चात् 'अधिक असहाय' महसूस करते हैं। यद्यपि जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही समुदायों के उत्तरदाता स्वयं को विवाहित स्त्री के रूप में अधिक असहाय महसूस करते हैं। परन्तु इस संदर्भ में भी जनजातीय समुदाय के उत्तरदाताओं की स्थिति गैर जनजातीय समुदायों की तुलना में अधिक अच्छी है।

सारणी संख्या – 1.11

परिवार में पुत्र/पुत्री के जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

विभिन्न क्षेत्र		पुत्र के जन्म पर			पुत्री के जन्म पर		
प्रत्युत्तर का स्वरूप		जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता	जनजातीय	गैर जनजातीय	कुल उत्तरदाता
बहुत अधिक	आवृत्ति	69	92	161	23	12	35
	प्रतिशत	50.36	56.36	53.67	16.79	7.36	11.67
अधिक	आवृत्ति	52	52	104	47	53	100
	प्रतिशत	37.96	31.90	34.67	34.31	32.52	33.33
सामान्य	आवृत्ति	13	19	32	59	80	139
	प्रतिशत	9.49	11.66	10.66	43.07	49.08	46.33
कम	आवृत्ति	1	–	1	6	17	23
	प्रतिशत	00.73	–	00.33	4.37	10.43	7.67
बिल्कुल नहीं	आवृत्ति	2	–	2	2	1	3
	प्रतिशत	1.46	–	00.67	1.46	00.61	1.00
कुल योग	**आवृत्ति**	**137**	**163**	**300**	**137**	**163**	**300**
	प्रतिशत	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

पितृप्रधान समान व्यवस्थाओं में वंश परम्परा को बनाए रखने तथा श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ–पूजा के लिए कुल में पुत्र का होना आवश्यक माना जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है कि विवाह का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के आधार पर पुत्र को अधिक व पुत्री को कम महत्व दिया जाता था। वर्तमान में भी प्रायः पुत्र को धनार्जन का स्थाई स्रोत व पुत्री को बोझ स्वरूप समझा जाता है। पुत्र–पुत्री के जन्म पर होने वाली प्रतिक्रियाओं की भी प्रस्तुत अध्ययन में जाँच में की गयी है।

सारणी संख्या – 1.11 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (88.34 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के परिवार में पुत्र जन्म पर 'बहुत अधिक' व अधिक प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। जबकि पुत्री जन्म पर यह प्रसन्नता अधिक व 'सामान्य' स्तर की ही होती है। (79.60 प्रतिशत) जनजातीय व गैर जनजातीय समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों ही समुदायों में पुत्र जन्म पर अधिक प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। अब पुत्री जन्म पर भी सामान्यतः प्रसन्नता व्यक्त की जाने लगी है। जनजातीय समुदाय में गैर जनजातीय समुदाय की तुलना में पुत्री जन्म को अधिक महत्व दिया जाता है।

सारणी संख्या – 1.12

क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपने माता–पिता पर बोझ थे? प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिकांशतः	9	6.57	28	17.18	37	12.33
कभी–कभी	86	62.77	103	63.19	189	63.00
कभी नहीं	42	30.66	32	19.63	74	24.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

समाज की परम्परागत धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं तथा जैसी प्रथाओं के कारण प्रायः बेटी को माता–पिता पर बोझ समझा जाता है। सारणी संख्या – 1.12 में इस संदर्भ में उत्तरदाताओं के अनुभव को ज्ञात किया गया है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 63.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं को 'कभी–कभी' ही माता–पिता पर बोझ समझा है। 24.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वयं को 'कभी बोझ नहीं' समझा है तथा केवल 12.33 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्वयं को माता–पिता पर 'अधिकांशतः' बोझ समझा है।

सारणी संख्या – 1.13

माता–पिता द्वारा आवश्यकता से अधिक कठोर होने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिकांशतः	5	3.64	12	7.36	17	5.67
कभी–कभी	66	48.18	71	43.56	137	45.67
कभी नहीं	66	48.18	80	49.08	146	48.66
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

माता–पिता बालक के लालन–पालन करने के साथ ही साथ समाजीकरण के द्वारा उसके उत्तम जीवन का निर्माण भी करते हैं। समाजीकरण की क्रिया के दौरान कभी–कभी बच्चों के प्रति माता–पिता द्वारा कठोर व्यवहार भी किया जाता है। इस संदर्भ में भी उत्तरदाताओं के अनुभव की जाँच की गयी है।

सारणी संख्या 1.13 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (48.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके माता–पिता

आवश्यकता से अधिक कठोर 'कभी नही' थे तथा 45.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि माता–पिता 'कभी–कभी' आवश्यकता से अधिक कठोर हो जाते थे। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि 96.36 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता का मानना है कि माता–पिता आवश्यकता से अधिक कठोर 'कभी–कभी' व 'कभी नहीं' होते थे तथा गैर जनजातीय उत्तरदाताओं ने माता–पिता का आवश्यकता से अधिक कठोर होना 'कभी–कभी' तथा 'कभी नहीं' बताया है। जनजातीय उत्तरदाता, गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलना में माता–पिता के व्यवहार को कम कठोर समझते हैं।

सारणी संख्या – 1.14

क्या आज आप ऐसा अनुभव करती है कि एक स्त्री के रूप में संसार में जन्म लेना बेकार है? प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
अधिकांशतः	29	21.17	46	28.22	75	25.00
कभी–कभी	70	51.09	89	54.60	159	53.00
कभी नहीं	38	27.74	28	17.18	66	22.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

नर और नारी मानवीय जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं परन्तु इतिहास पर दृष्टि डालते है तो विभिन्न रूपों में नारियों का कन्दन उत्पीड़न, शोषण ही प्रतिबिम्ब होता है। कभी सती प्रथा के रूप में, कभी देवदासी के रूप में, कभी विधवा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या तो कभी दहेज प्रथा के रूप में विभिन्न रूपों में उसका शोषण ही किया गया है। वर्तमान समाज में भी महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है एवं महिलाओं की प्रस्थिति अच्छी नहीं है। सामान्यतः महिलाएँ अपनी निम्न स्थिति से परेशान होकर यह सोचती है कि 'स्त्री के रूप में संसार में जन्म लेना बेकार है।' स्त्रियों पर आधारित अध्ययन के लिए इस तथ्य की जाँच की जानी भी आवश्यक है। सारणी संख्या 1.14 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (78.00 प्रतिशत) उत्तरदाता 'अधिकांशतः' तथा 'कभी–कभी' यह तथ्य स्वीकार करती है कि एक स्त्री के रूप में संसार में जन्म लेना बेकार है। केवल 22.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अपने स्त्री के रूप में जन्म लेने पर कोई अनुभूति नहीं होती है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 78–83 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता स्वयं को 'एक स्त्री के रूप में जन्म लेना बेकार है' इस वाक्यांश का अनुभव कभी–कभी व 'कभी नहीं' करते हैं। गैर जनजातीय उत्तरदाताओं में 82.82 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं का 'स्त्री के रूप में संसार में जन्म लेना बेकार है' मानती है।

विपरीत परिस्थितियाँ नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। जनजातीय और गैर जनजातीय उत्तरदाताओं में विचारधारा का अन्तर

स्पष्ट दिखाई देता है। जनजातीय उत्तरदाता स्त्री के रूप में जन्म लेना बेकार नहीं मानते है जबकि गैर जनजातीय उत्तरदाता स्वयं का स्त्री के रूप में जन्म लेना बेकार है, मानते हैं। अतः यह भी स्पष्ट होता है कि जनजातीय उत्तरदाताओं की स्थिति गैर जनजातीय उत्तरदाताओं से अच्छी है। इस संदर्भ में जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तरों से स्पष्ट होता है कि 72.26 प्रतिशत जनजातीय व 82.82 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाता इस प्रकार का अनुभव कभी–कभी व अधिकांश करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षित महिलाएं जीवन के नकारात्मक पक्ष को अन्य शैक्षिक स्तर की महिलाओं की तुलना में कम स्वीकार करती हैं। शिक्षा के माध्यम से उनके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं।

प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्मित आचार संहिताओं में समय के अनुसार आंशिक परिवर्तित नहीं हुआ है। इसलिए सामाजिक रूप से आज भी महिलाओं का जीवन कठिन है। कुमाऊँ के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों की विषम भौगोलिक स्थिति, निम्न आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन विवाह के पश्चात स्त्री जीवन को प्रायः और भी कठिन बना देता हैं प्रस्तुत अध्ययन में विवाह के पश्चात् उत्तरदाता के जीवन में हुए परिवर्तनों का भी ज्ञान प्राप्त किया गया है।

सारणी संख्या – 1.15

विवाह के पश्चात् जीवन में आये परिवर्तन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
जीवन पहले से सुखद हो गया है।	12	8.67	17	10.43	29	9.67
जीवन पहले के समान ही है।	74	54.01	71	43.56	145	48.33
जीवन पहले से कठिन हो गया है।	51	37.23	75	46.01	126	42.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.15 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 90.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनका जीवन विवाह के पश्चात् 'पहले के समान' या 'पहले से कठिन' हो गया है। केवल 9.67 प्रतिशत उत्तरदाता ही विवाह के पश्चात् जीवन को 'सुखद' मानते हैं।

जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 54.01 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं का जीवन विवाह के पश्चात् भी 'पहले के समान' ही है जबकि गैर जनजातीय अधिकांश (46.01 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का जीवन विवाह के पश्चात् पहले से कठिन हो गया है। अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि जनजातीय महिलाओं में विवाह के पश्चात् भी जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है तथा गैर जनजातीय महिलाओं का जीवन विवाह के

पश्चात् कठिन हो जाता है। इस प्रकार जनजातीय विवाहित महिलाओं का जीवन गैर जनजातीय महिलाओं के जीवन स्तर से उच्च दिखाई देता है।

सारणी संख्या – 1.16

आप लड़की के विवाह के सन्दर्भ में निम्न में से किस विचार से सबसे अधिक सहमत है? प्रश्न के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
रजस्वला होने से पूर्व लड़की का विवाह होना चाहिए।	2	1.46	4	2.45	6	2.00
शारीरिक परिपक्वता के तुरन्त बाद लड़की का विवाह कर देना चाहिए	42	30.66	72	44.17	114	38.00
शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही लड़की का विवाह करना चाहिए।	93	67.88	87	53.38	180	60.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.16 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि 'शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही लड़की का विवाह करना चाहिए।' केवल 2.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही ऐसे थे जिनका मानना है कि 'रजस्वला होने से पूर्व लड़की का विवाह कर देना चाहिए।'

जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अधिकांश जनजातीय (67.88 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि 'शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही लड़की का विवाह करना चाहिए। गैर जनजातीय उत्तरदाताओं में केवल 53.38 प्रतिशत ही मानते हैं कि 'शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् ही लड़की का विवाह करना चाहिए।' जनजातीय उत्तरदाता गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलना में स्त्री शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं।

मनुष्य के जीवन में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था रही है। भारतीय समाज में विशेष रूप से लड़कियों के बचपन से ही विवाह की अनिवार्यता व विवाह के पश्चात् के जीवन के दायित्वों के बारे में सजग किया जाता रहा है। अतीत में हमारे समाज में बाल विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था जिससे कम आयु में विवाह के पश्चात् लड़कियों का जीवन अत्यन्त कठिन हो जाता है। परन्तु अब यह देखा जा रहा है कि विवाह के पूर्व लड़कियों की शारीरिक परिपक्वता व शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा है। प्रस्तुत अध्ययन में भी इस संदर्भ में उत्तरदायित्वों के विचार ज्ञात किये गये हैं।

सारणी संख्या – 1.17

सन्तान चयन की प्राथमिकता के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
बेटा	30	21.89	59	36.19	89	29.67
बेटी	17	12.41	9	5.53	26	8.66
बेटा एंव बेटी दोनो	64	46.72	74	45.39	138	46.00
विशेष प्राथमिकता नही	26	18.98	21	12.89	47	15.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

धर्मशास्त्रों में विवाह का प्रथम उद्देश्य 'धर्म पालन' तथा द्वितीय उद्देश्य 'संतान प्राप्ति' को माना गया है। भारतीय समाज में परिवार एक आधारभूत संस्था है। भारतीय परिवारों में संतान अन्य के संदर्भ में हमेशा ही पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी गयी है। इसके पीछे कुछ धार्मिक सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव रहा है। प्रस्तुत अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या संतान के रूप में पुत्र–पुत्री की इच्छा के संदर्भ में समाज की विचारधारा में कोई परिवर्तन हुआ है। सारणी संख्या – 1.17 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (46.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि यदि वे संतान चयन को स्वतंत्र होती, तो 'बेटा–बेटी दोनों' ही उनकी प्राथमिकता होगी। 29.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं में संतान चयन में पुत्र को प्राथमिकता दी है। केवल 8.67 प्रतिशत उत्तरदाता ही पुत्री संतान को प्राथमिकता देते है। जनजातीय एवं गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि 46.72 प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाता तथा 45.39 प्रतिशत गैर जनजातीय उत्तरदाताओं में 'बेटे–बेटी दोनों' को ही संतान चयन में प्राथमिकता दी है। जनजातीय उत्तरदाता, गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलना में बेटी को अधिक महत्व देते हैं। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जब विस्तृत जानकारी ली गयी तो यह भी स्पष्ट हुआ कि अधिक उम्र के उत्तरदाता अब भी पुत्र जन्म को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षित वर्ग व कम उम्र की महिलाएं 'बेटी' तथा 'बेटा–बेटी' को प्राथमिकता देती हैं। जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रथम संतान के रूप में यदि पुत्री का जन्म होता है तो वह लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। अधिकांश उत्तरदाताओं का यह भी मानना है कि प्रथम संतान पुत्र ही होने चाहिए ताकि बाद में पुत्र जन्म को लेकर चिन्ताएं न हो। पुत्र जन्म पर जहाँ 'बहुत अधिक' प्रसन्नता व्यक्त की जाती है वहीं पुत्री जन्म पर प्रसन्नता का स्तर 'सामान्य' या 'कम' हो जाता है।

सारणी संख्या – 1.18

विवाह के पूर्व सीखे गये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में आये परिवर्तन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पूर्ण रूप से	26	18.99	46	28.23	72	24.00
आंशिक रूप से	91	66.42	104	63.80	195	65.00
बिल्कुल नहीं	20	14.59	13	7.97	33	11.00
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या 1.18 के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं में विवाह से पूर्व सीखे गये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों में विवाह के पश्चात् आंशिक रूप से ही परिवर्तन आया है। ऐसा मानने वाले उत्तरदाता 65.00 प्रतिशत हैं। केवल 11.00 प्रतिशत उत्तरदाता ही मानते हैं कि विवाह के पश्चात्, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन 'बिल्कुल नहीं' आया है। जनजातीय एवं गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय उत्तरदाताओं के सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहारों में विवाह के पश्चात् कम परिवर्तन आता है जबकि गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का मानना है कि विवाह के पश्चात् उनके सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवहारों में 'आंशिक रूप से' या 'पूर्ण रूप से' परिवर्तन आता है।

किसी विशिष्ट समूह अथवा सामाजिक स्थिति में किसी विशिष्ट पद प्रस्थिति के साथ जुड़े हुए तथा किन्हीं विशिष्ट दायित्वों एवं अधिकारों में आबद्ध व्यवहार प्रतिमान को भूमिका कहते हैं। भूमिका किसी प्रस्थिति के साथ जुड़े हुए अपेक्षित कार्यो का संकेत देती है कि किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थिति में कि प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। संक्षेप में, भूमिका किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद–विशेष की प्रत्याशाओं के अनुरूप किये गये कार्यों एवं व्यवहारों का एक समुच्चय है। लड़कियों को बचपन से ही माता–पिता द्वारा भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है।

सारणी संख्या – 1.19

बचपन में माता–पिता द्वारा भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार किये जाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तर का स्वरूप	जनजातीय		गैर जनजातीय		कुल उत्तरदाता	
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
पत्नी	7	5.11	31	19.02	38	12.67
बहु	25	18.25	51	31.29	76	25.33

माँ	20	14.59	46	28.22	66	22.00
अच्छे व्यवसायी	64	46.72	3	1.84	67	22.33
अच्छे नागरिक	17	12.41	31	19.02	48	16.00
अन्य	4	2.92	1	00.61	5	1.67
कुल योग	**137**	**100.00**	**163**	**100.00**	**300**	**100.00**

सारणी संख्या – 1.19 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (60.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को बचपन में माता–पिता द्वारा 'बहू', 'माँ' तथा पत्नी की भूमिका के लिए तैयार किया जाता था केवल 16.00 प्रतिशत शिक्षित उत्तरदाता ही बचपन में 'अच्छे नागरिक' की भूमिका के लिए तैयार किये जाने की बात स्वीकार करते हैं। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय उत्तरदाताओं को बचपन में ही माता–पिता द्वारा 'अच्छे व्यवसाय' की भूमिका के लिए तैयार किया जाता था। जबकि जनजातीय उत्तरदाताओं को सबसे अधिक 'बहू' की भूमिका के लिए तैयार किया जाता था अतः जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं में भूमिका निर्माण के संदर्भ में स्पष्ट अन्तर देखा जा सकता है। जनजातीय व गैर जनजातीय उत्तरदाताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही समुदाय 'पड़ोस व समुदाय' के विचारों को पहला स्थान व 'पति व परिवार' को दूसरा स्थान देते हैं। वे स्वयं निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं हैं। जनजातीय समुदाय, गैर जनजातीय समुदाय की तुलना में पड़ोस, समुदाय, पति तथा परिवार के मत को अधिक महत्व देते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महिलाएं आज भी इस सन्दर्भ में परिवार व समाज को अत्यधिक महत्व देती हैं।

इस प्रकार उत्तरदाताओं के समाजीकरण के प्रतिमानों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि जनजातीय समुदायों में लड़कियों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार कम किया जाता है तथा गैर जनजातीय महिलाओं की अपेक्षा जनजातीय महिलाओं की स्थिति अधिक उच्च है। वैवाहिक जीवन के लिए तैयार किये जाने के संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि जनजातीय लड़कियों की तुलना में गैर जनजातीय लड़कियों को वैवाहिक जीवन के लिए अधिक तैयार किया जाता है। लड़के–लड़कियों में भेदभाव पूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में देखा गया है जनजातीय समाजों में लड़के–लड़कियों में भेदभाव पूर्ण व्यवहार गैर जनजातीय समाजों की तुलना में पर्याप्त रूप से कम पाया जाता है। बचपन में लड़के–लड़कियों के खेलने की स्वतंत्रता के विश्लेषण से पाया जाता है कि जनजातीय समुदायों में बाल्यावस्था में समाजीकरण प्रक्रिया में लड़कियों को कम विभेद का सामना करना पड़ता है। लड़के–लड़कियों को दी जाने वाली सामाजिक सीख में अन्तर पाया जाता है। गैर जनजातीय लड़कियों को अधिक सामाजिक सीख दी जाती है, जबकि जनजातीय समाजों में सामाजिक सीख की प्रक्रिया में विभेद कम किया जाता है।

गोत्र परिवर्तन के आधार पर विभाजन किया जाए तो जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही समुदायों की स्थिति समान है। विवाह के पश्चात् जीवन में परिवर्तन के संदर्भ में पाया गया है कि गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को अधिक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। जीवन के विभिन्न पक्षों में विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों के तुलनात्मक विश्लेषण से पाया गया कि जनजातीय

व गैर जनजातीय दोनों ही समुदाय के उत्तरदाताओं को इस प्रकार की टिप्पणियों का सामना कभी न कभी करना ही पड़ा है परन्तु जनजातीय उत्तरदाताओं को इन टिप्पणियों का सामना गैर जनजातीय उत्तरदाताओं की तुलना में कम करना पड़ता है। मात–पिता के घर सीखे गये सामाजिक मूल्यों व मान्यताओं में परिवर्तन के संदर्भ में पाया गया है कि गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को जनजातीय उत्तरदाताओं की अपेक्षा अधिक पुनर्समाजीकरण की स्थिति से गुजरना पड़ता है। भाषा–बोली, पहनावे तथा भोजन की आदतों में विवाह के पश्चात् अन्तर आता है। अधिकांश गैर जनजातीय उत्तरदाताओं को ही आदतों में परिवर्तन करना पड़ता है।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति– राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप से उद्धत, 1971–74, अलाईड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1975, पृष्ठ – 14।
2. रावत हरीकृष्ण, 1986, समाजशास्त्र शब्दकोष पब्लिकेशन, जयपुर।
3. उपरोक्त।
4. आहूजा राम, 2004, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।